बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–: अधिसूचना :–

सचिका संख्या–6 / वि0पत्रा0–24–05 / 2024 पटना, दिनांकः–

श्रीमती दिव्या ज्योति, तत्कालीन राज्य–कर उपायुक्त (56–59वीं बैच), सासाराम अंचल, सासाराम सम्प्रति राज्य कर उपायुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा का पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या–1140 दिनांक 01.04.2026 द्वारा द्वितीय संतान हेतु दिनांक 06.04.2026 से 02.10.2026 तक कुल 180 दिनों का स्वीकृत मातृत्व अवकाश को रद्द करते हुए श्रीमती ज्योति को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् दिनांक 06.04.2026 से 31.05.2026 तक 56 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती ज्योति के अवकाश लेखा में (223–56=167) एक सौ सड़सठ दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–6 / वि0पत्रा0–24–05 / 2024 3961 पटना, दिनांकः– 12/10/26

प्रतिलिपि :– वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सासाराम / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा / राज्य–कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ / राज्य–कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया / अंचल प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम / एच0आर0एम0एस0 (एडमीन), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / अंचल प्रभारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहरसा अंचल, सहरसा को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे। / आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / श्रीमती दिव्या ज्योति, राज्य–कर उपायुक्त (56–59वीं बैच), सहरसा अंचल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.10.2026

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।